



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102021-230316
CG-DL-E-09102021-230316

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455]
No. 455]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2021

फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए- भाखासंमाप्रा.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप- धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्,-

सारणी में,-

1. उत्तरी क्षेत्र से संबंधित 'क' में,

(क) दिल्ली के नीचे,

(i) क्रम संख्या 22 के पश्चात् संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“23	केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली पंजीकरण सं. 84 / एन / एफएसएसएआई / 2021 आई.ए.आर.आई., पी.ओ., हिल साइड रोड, पूसा, नई दिल्ली-110012	रासायनिक एवं जैविक”।

(ii) कॉलम (1) में क्रम संख्या 14 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

(iii) कॉलम (1) में क्रम संख्या 19 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

2. पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित 'ख' में,

(क) गुजरात के नीचे, कॉलम (1) में क्रम संख्या 7 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

(ख) मध्य प्रदेश के नीचे, कॉलम (1) में क्रम संख्या 7 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

(ग) महाराष्ट्र के नीचे,

(i) कॉलम (1) में क्रम संख्या 14 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

(ii) कॉलम (1) में क्रम संख्या 18 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

3. दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित 'ग' में,

(क) तमिलनाडु के नीचे,

(i) क्रम संख्या 23 के पश्चात् संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“24	खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला, तंजावुर पंजीकरण सं. 75 / एस / एफएसएसएआई / 2021 मेमबलम मेडिकल कॉलेज रोड, तंजावुर, तमिलनाडु-613001	रासायनिक
25	खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला, कोयंबटूर पंजीकरण सं. 77 / एस / एफएसएसएआई / 2021 219, रेस कोर्स रोड, कोयंबटूर, तमिलनाडु-641018	रासायनिक
26	खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला, सेलम पंजीकरण सं. 78 / एस / एफएसएसएआई / 2021 953, कामराजर नगर कॉलोनी, सेलम, तमिलनाडु-636014	रासायनिक”।

(ii) कॉलम (1) में क्रम संख्या 1 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

(ख) कर्नाटका के नीचे, क्रम संख्या 14 के पश्चात् संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“15	यूरेका एनालिटिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर पंजीकरण सं. 76 / एस / एफएसएसएआई / 2021 एबी स्कूयर, #617, पाँचवीं मेन, ओएमबीआर लेआउट, कस्तूरी नगर मेन रोड, बांसवाड़ी, बेंगलुरु, कर्नाटका-560016	रासायनिक एवं जैविक”।

(ग) केरल के नीचे, कॉलम (1) में क्रम संख्या 9 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

4. पूर्वी क्षेत्र से संबंधित 'घ' में, पश्चिम बंगाल के नीचे, कॉलम (1) में क्रम संख्या 6 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./318/2021-22]

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन की गई:-

- (i) का.आ. संख्या 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
- (ii) का.आ. संख्या 1595 (अ), दिनांक 15 मई, 2017;
- (iii) का.आ. संख्या 1965 (अ), दिनांक 20 जून, 2017;
- (iv) का.आ. संख्या 2316 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 2017;
- (v) का.आ. संख्या 3068 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2017;
- (vi) का.आ. संख्या 3279 (अ), दिनांक 29 सितंबर, 2017;
- (vii) का.आ. संख्या 4083 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2017;
- (viii) का.आ. संख्या 848 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2018;
- (ix) का.आ. संख्या 1516 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2018;
- (x) का.आ. संख्या 2426 (अ), दिनांक 13 जून, 2018;
- (xi) का.आ. संख्या 6207 (अ), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018;
- (xii) का.आ. संख्या 1377 (अ), दिनांक 8 मार्च, 2019;
- (xiii) का.आ. संख्या 1722 (अ), दिनांक 8 मई, 2019;
- (xiv) का.आ. संख्या 2842 (अ), दिनांक 6 अगस्त, 2019;
- (xv) का.आ. संख्या 3428 (अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2019;
- (xvi) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 फरवरी, 2020;
- (xvii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 23 जुलाई, 2020;
- (xviii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 4 दिसम्बर, 2020;
- (xix) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 12 जनवरी, 2021;
- (xx) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 फरवरी, 2021;
- (xxi) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 मार्च, 2021 और
- (xxii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 2 जून, 2021 ।
- (xxiii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 25 जून, 2021 ।
- (xxiv) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 2 सितम्बर, 2021 ।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2021

F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely: -

In the table,

1. In 'A' related to NORTHERN REGION,

a) under *Delhi*,

i) after serial number 22, the following entries shall be inserted in respective columns namely. -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"23	Central Revenues Control Laboratory, New Delhi Reg. No. 84/N/FSSAI/2021 I.A.R.I., P.O., Hill Side Road, Pusa, New Delhi - 110012	Biological Chemical".

ii) at serial number 14, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.

iii) at serial number 19, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.

2. In 'B' related to WESTERN REGION,

a) under *Gujarat*, at serial number 7, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.

b) under *Madhya Pradesh*, at serial number 7, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.

c) under *Maharashtra*,

(i) at serial number 14, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.

(ii) at serial number 18, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.

3. In 'C' related to SOUTHERN REGION,

a) under *Tamil Nadu*,

i) after serial number 23, the following entries shall be inserted in respective columns namely. -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"24	Food Analysis Laboratory, Thanjavur Reg. No. 75/S/FSSAI/2021 Membalam Medical College Road, Thanjavur, Tamil Nadu-613001	Chemical

25	Food Analysis Laboratory, Coimbatore Reg. No. 77/S/FSSAI/2021 219, Race Course Road, Coimbatore, Tamil Nadu-641018	Chemical
26	Food Analysis Laboratory, Salem Reg. No. 78/S/FSSAI/2021 953, Kamarajar Nagar Colony, Salem, Tamil Nadu-636014	Chemical”.

ii) at serial number 1, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.

b) under **Karnataka**, after serial number 14, the following entries shall be inserted in respective columns namely. -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“15	Eureka Analytical Services Pvt. Ltd., Bangalore Reg. No 76/S/FSSAI/2021 AB Square, #617,5th Main, OMBR Layout, Kasturi Nagar Main Road, Banaswadi, Bengaluru, Karnataka-560016	Biological Chemical”.

c) under **Kerala**, at serial number 9, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.

4. In ‘D’ related to EASTERN REGION, under **West Bengal**, at serial number 6, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./318/2021-22]

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide:-

- i. S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017,
- ii. S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017,
- iii. S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017,
- iv. S.O. number 2316(E), dated the 24th July, 2017,
- v. S.O. number 3068 (E) dated the 14th September, 2017,
- vi. S.O. number 3279 (E) dated the 29th September, 2017,
- vii. S.O. number 4083 (E) dated the 22nd December, 2017,
- viii. S.O. number 848(E) dated the 19th Feb, 2018,
- ix. S.O. number 1516 (E) dated 28th March, 2018,
- x. S.O. number 2426(E) dated 13th June, 2018,
- xi. S.O. number 6207 (E) dated 12th December, 2018,
- xii. S.O. number 1377(E) dated 8th March, 2019,
- xiii. S.O. number 1722 (E) dated 8th May, 2019
- xiv. S.O. number 2842 (E) dated 6th August, 2019

- xv. S.O. number 3428 (E) dated 18th September, 2019
- xvi. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 13th February, 2020
- xvii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 23rd July, 2020,
- xviii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 4th December, 2020,
- xix. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 12th January, 2021,
- xx. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 10th February, 2021
- xxi. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 10th March, 2021
- xxii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 2nd June, 2021
- xxiii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 25th June, 2021 and
- xxiv. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 2nd September, 2021